पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

लखनऊ जनपद न्यायालय में 28 नवम्बर को आयोजित होगी विशेष लोक अदालत; मोटर वाहन अधिनियम के लंबित चालान वादों का होगा त्वरित निस्तारण

जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष मलखान सिंह के मार्गदर्शन में होगा आयोजन

लंबित ट्रैफिक चालान मामलों का आपसी सुलह–समझौते के आधार पर होगा सुगम एवं शीघ्र निपटारा

वादकारी स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर उठा सकते हैं विशेष लोक अदालत का लाभ

लखनऊ : 26 नवम्बर, 2026

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार तथा जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के अध्यक्ष मलखान सिंह के कुशल मार्गदर्शन में शनिवार, 28 नवम्बर, 2026 को जनपद न्यायालय, लखनऊ में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ की सचिव श्रीमती सोनाली पूनिया ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस विशेष लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य मोटर वाहन अधिनियम (मोटर व्हीकल एक्ट) के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित ट्रैफिक चालान से संबंधित वादों का त्वरित एवं सुगम निस्तारण सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि इस पहल से जहां एक ओर वादकारियों को शीघ्र एवं सुलभ न्याय प्राप्त हो सकेगा, वहीं दूसरी ओर न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ भी कम होगा।

सचिव श्रीमती सोनाली पूनिया ने जनपद लखनऊ के समस्त जनसामान्य एवं वादकारियों से अपील की है कि जिनके भी वाहन चालान से संबंधित मामले न्यायालय में लंबित हैं, वे आगामी 28 नवम्बर, 2026 को आयोजित होने वाली इस विशेष लोक अदालत में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपने वादों का निस्तारण कराएं और इस अवसर का भरपूर लाभ उठाएं।

सम्पर्क सूत्र– अमरेश कुमार

राम यतन/03:35 PM

फोन नम्बर Direct : 0522–2239023 ई0पी0बी0एक्स0: 0522–2239132,33,34,35 एक्सटेंशन : 223 224 225
फैक्स नं0 : 0522–2237230 0522–2239586 ई–मेल : upsoochna@gmail.com,
वेबसाइट :www.information.up.gov.in